समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक-645/गो0, दिनांक 15-05-2006 के द्वारा श्रीमती जयमाला देवी पति स्व0 भूपेन्द्र यादव, सा0+पो0 मठाही, थाना+जिला मधेपुरा से प्राप्त आवेदन दिनांक 05-04-2006 के आलोक में उनके पति स्व0 भूपेन्द्र यादव के नाम से निर्गत एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति सं0-21/2001 (मधेपुरा थाना), जिस पर धारित रायफल सं0-AB-0508971(I.O.F) .315 बोर को अनुज्ञप्तिधारी के मृत्योपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को अगले आदेश तक के लिए मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने की स्वीकृति पूर्व में दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि आवेदिका श्रीमती जयमाला देवी पति स्व0 भूपेन्द्र यादव, सा0+पो0 मठाही, थाना+जिला मधेपुरा के द्वारा पुनः आवेदन दी है कि उनके पति स्व0 भूपेन्द्र यादव के नाम से धारित रायफल सं0-AB-0508971 (I.O.F) .315 बोर को श्री अमर कुमार चौधरी पिता श्री लक्ष्मी चौधरी, सा0 नगर परिषद्, सुपौल, वार्ड नं0-22, थाना+जिला सुपौल के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-371/2015 के हाथ विक्रय करना चाहती है, जिसके लिए अनुमति मांगी है।

अतः श्रीमती जयमाला देवी पति स्व0 भूपेन्द्र यादव के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर सम्यक विचार करते हुए स्व0 भूपेन्द्र यादव के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-21/2001 पर धारित रायफल सं0-AB-0508971(I.O.F) .315 बोर को श्री अमर कुमार चौधरी पिता श्री लक्ष्मी चौधरी, सा0 नगर परिषद्, सुपौल, वार्ड नं0-22, थाना+जिला सुपौल के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-371/2015 के हाथ विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्रीमती जयमाला देवी को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त शस्त्र विक्रय करने के उपरान्त मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगी।

मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी श्रीमती जयमाला देवी के द्वारा आपके संस्थान में जमा रायफल सं0-AB-0508971(I.O.F) .315 बोर प्राप्त करना चाहे तो उसे हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को भी देंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

पूर्व निर्गत आदेश ज्ञापांक 645/गो0, दिनांक 15-05-2006 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

(संचिका सं0-16-15/2000 के टिप्पणी पृष्ट सं0-14/टि0 पर जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा से स्वीकृति प्राप्त)

जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार,

ह0/-

जिला शस्त्र दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......136....../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक......14-12-2016......

प्रतिलिपि : श्रीमती जयमाला देवी पति स्व0 भूपेन्द्र यादव, सा0+पो0 मठाही, थाना+जिला मधेपुरा/ श्री अमर कुमार चौधरी पिता श्री लक्ष्मी चौधरी, सा0 नगर परिषद्, सुपौल, वार्ड नं0-22, थाना+जिला सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा/ सुपौल/ जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सुपौल/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14.12.16

जिला शस्त्र दंडाधिकारी,
मधेपुरा।